हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या :– 329/2025 मंजू शर्मा बनाम तहसीलदार प्रार्थना पत्र अ. धा. 136 राज. भू राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.10.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीया उपस्थित। बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि वाके ग्राम दोरादास तहसील व जिला झुन्झुनूं में भूमि खाता संख्या 86 के हाल भूमि खसरा नं. 442/211 रकबा 0.85 है0 भूमि अवस्थित है जो आवेदिका की सहखातेदारी भूमि है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम मंजू देवी पत्नी राजेन्द्र दर्ज रिकॉर्ड है, जबकि उनके समस्त दस्तावेजों में प्रार्थीया का नाम मंजू शर्मा पत्नी राजेन्द्र शर्मा दर्ज है जिसे दुरूस्त किया जाये। वकील प्रार्थीया को सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न पटवारी हल्का व भू अ0 नि0 रिपोर्ट, तहसीलदार रिपोर्ट, अन्य संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीया का नाम दुरूस्त करने की अभिषंशा की है। अतः बाद अवलोकन पत्रावली प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। –: आदेश :– प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम दोरादास तहसील व जिला झुन्झुनूं में भूमि खाता संख्या 86 के हाल भूमि खसरा नं. 442/211 रकबा 0.85 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम मंजू देवी पत्नी राजेन्द्र की बजाय मंजू शर्मा पत्नी राजेन्द्र शर्मा दुरूस्ती के आदेश दिये जाते हैं। तद्नुसार तहसीदार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को खुले इजलास सुनाया गया। (कौशल्या बिश्नोई) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं	